

भाग - II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद-देहरादून एवं जनपद-टिहरी गढ़वाल में मसूरी वन प्रभाग की कैम्पटी, भद्रीगाड़, मसूरी एवं जौनपुर रेंज अन्तर्गत एन0एच0-507 यमुनापुल-खरसौन-क्यारी माईलस्टोन-44 से माईलस्टोन-54(10.00किमी0), यमुना-मसूरी बेंण्ड जीरो प्वाइन्ट (21.00किमी0), यमुनापुल-सुननक्यारी (11.20किमी0) एवं एच0एस0 08 मसूरी चम्बा मार्ग से मसूरी-धनोल्ती- (34.00 किमी0) कुल 76.20 किमी0 सड़क /मोटर मार्ग के किनारे भूमिगत ऑटिकल्स फाईबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.552है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Reliance Jio, Infocomm Limited को लीज पर प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून /टिहरी गढ़वाल
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग।
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टे0में)	0.552 हैक्टर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.02 हैक्टर, आरक्षित वन भूमि, मोटीधार कक्ष सं0 3बी, 4, 5 (जनपद-देहरादून) 0.04 हैक्टर, आरक्षित वन भूमि, नाली कक्ष सं0 4, 5 0.02 हैक्टर, आरक्षित वन भूमि, सिल्ला कक्ष सं0 4 0.11 हैक्टर, प्रस्तावित कार्यस्थल/मोटर मार्ग से लगे ग्रामों की सिविल सोयम भूमि 0.04 हैक्टर, आरक्षित वन भूमि, बुरांशखण्डा कक्ष सं0 4, 5, 6 (जनपद-टिहरी गढ़वाल) 0.07 हैक्टर, आरक्षित वन भूमि, धनोल्ती कक्ष सं0 3, 2, 1 0.05 हैक्टर, आरक्षित वन भूमि, खैरागाड़ ब्लाक 0.10 हैक्टर, आरक्षित वन भूमि, मेलगढ कक्ष-1, खरसौन ब्लाक, खैरागाड़ ब्लाक 0.102 हैक्टर, प्रस्तावित कार्यस्थल/मोटर मार्ग से लगे ग्रामों की सिविल सोयम भूमि <u>0.552 हैक्टर</u>
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाएं)	प्रस्तावित कार्य के समरेखण/स्थल पर कोई वृक्ष वाधित /प्रभावित होना निहित नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं। इस बावत प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं है तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के संलग्नक-33 पर चस्पा किया गया है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित स्थल आरक्षित वन मोटीधार कक्ष सं0 3बी, 4, 5, नाली कक्ष सं0 4, 5, सिल्ला कक्ष सं0 4, हैक्टर, प्रस्तावित कार्यस्थल/मोटर मार्ग से लगे ग्रामों की सिविल सोयम भूमि (जनपद-देहरादून) एवं बुरांशखण्डा कक्ष सं0 4, 5, 6, धनोल्ती कक्ष सं0 3, 2, 1, खैरागाड़ ब्लाक, मेलगढ कक्ष-1, खरसौन ब्लाक, खैरागाड़ ब्लाक तथा प्रस्तावित कार्यस्थल/मोटर मार्ग से लगे ग्रामों की सिविल सोयम भूमि (जनपद-टिहरी गढ़वाल) की सीमा अन्तर्गत स्थित है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।(यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएं)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक-26 पर तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र चस्पा है।

(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक -37 पर तत्संबंधी प्रमाण पत्र चरपा है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक, राजस्व एवं वन विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक -14 पर चरपा है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 है0 से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0-46ए व 46बी पर चरपा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभিনিर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	चूंकि प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 है0 से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राविधान किया गया है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभিনিर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.552 है0 वन भूमि के बदले प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण तथा उसके 10 वर्षों तक रखरखाव का प्राक्कलन हेतु रू0 6.67,920.00(रू0 छः लाख सड़सठ हजार नौ सौ बीस मात्र) का प्राक्कलन संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिचय।	प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.552 है0 वन भूमि के बदले प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण तथा उसके 10 वर्षों तक रखरखाव का प्राक्कलन हेतु रू0 6.67,920.00(रू0 छः लाख सड़सठ हजार नौ सौ बीस मात्र)
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभিনিर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	-----
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारियों, फील्ड स्टाफ, राजस्व एवं प्रस्तावक विभाग द्वारा दिनांक 10-10-2018 को सम्पन्न की गयी संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके प्रपत्र-4 से 7 पर चरपा है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित कार्य हेतु चयनित स्थलों का दिनांक 12-03-2020 को स्थलीय निरीक्षण किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर DFO/DCF की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (SIR) संलग्न है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	जिला-देहरादून /जिला- टिहरी गढ़वाल
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	308800 वर्ग कि0मी0 / 4421.00 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	211691 वर्ग कि0मी0 / 4058.90 वर्ग कि0मी0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या-216 (118+98) है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 1252.7907 (266.7834+986.0073) है0 है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 714.5953 (192.9928+ 521.6025) है0 है।

(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- (ख) वनेतर भूमि पर:-	(क) 658.5392 (192.9928+421.5780)हेक्टेयर (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेत्तर भूमि पर	(क) 531.38 (317.63+213.75)है0 जिला / प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

~~हस्ताक्षर~~

दिनांक: 19-03-2020।

स्थान:- मसूरी,

नाम:- (कहकशा नसीम)

प्रभारी अधिकारी

सरकारी मुहरकारी

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी



कार्यालय-प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 3815/12-1 दिनांक, मसूरी 19, -03-2020।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:-

जनपद-देहरादून एवं जनपद-टिहरी गढ़वाल में मसूरी वन प्रभाग की कैम्पटी, भद्रीगाड़, मसूरी एवं जौनपुर रेंज अन्तर्गत एन0एच0-507 यमुनापुल-खरसौन-क्यारी माईलस्टोन-44 से माईलस्टोन-54(10.00किमी0), यमुना-मसूरी बेंड जीरो प्वाइन्ट (21.00किमी0), यमुनापुल-सुमनक्यारी (11.20किमी0) एवं एच0एस0 08 मसूरी चम्बा मार्ग से मसूरी-धनोल्दी- (34.00 किमी0) कुल 76.20 किमी0 सड़क /मोटर मार्ग के किनारे भूमिगत ऑटिकल्स फाईबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.552है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु **Reliance Jeo, Infocomm Limited** को लीज पर प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव। ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 FP/UK/OFC/36800/2018

सन्दर्भ :-

State Co-Ordinating, Reliance Jeo, Infocomm Limited ,प्रथम तल, रिलायंस मार्केट,जी0एम0एस0रोड, निरजंनपुर देहरादूनदिनांक 26-02-2020

महोदय,

Reliance Jeo, Infocomm Limited द्वारा जनपद-देहरादून एवं जनपद-टिहरी गढ़वाल में मसूरी वन प्रभाग की कैम्पटी, भद्रीगाड़, मसूरी एवं जौनपुर रेंज अन्तर्गत एन0एच0-507 यमुनापुल-खरसौन-क्यारी माईलस्टोन-44 से माईलस्टोन-54(10.00किमी0), यमुना-मसूरी बेंड जीरो प्वाइन्ट (21.00किमी0), यमुनापुल-सुमनक्यारी (11.20किमी0) एवं एच0एस0 08 मसूरी चम्बा मार्ग से मसूरी-धनोल्दी- (34.00 किमी0) कुल 76.20 किमी0 सड़क /मोटर मार्ग के किनारे भूमिगत ऑटिकल्स फाईबर केबिल बिछाने हेतु वांछित 0.552 है0 वन भूमि का आनलाईन प्रत्यावर्तन प्रस्ताव एवं प्रस्ताव की स्कैन हार्ड प्रति अनुमति/स्वीकृति बावत इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। प्रभाग स्तर से प्राप्त प्रस्ताव की जाँच /परीक्षण उपरान्त आवश्यक संस्तुति सहित प्रस्ताव की एक (01) स्कैन हार्ड प्रति प्रेषित की जा रही है। विषयकित ऑटिकल्स फाईबर केबिल बिछाने हेतु वांछित वन भूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण अधीनस्थ स्टाफ, राजस्व विभाग, व प्रयोक्ता एजेन्सी के कर्मचारियों /अधिकारियों द्वारा दिनांक 10-10-2018 को किया गया है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित कार्य स्थल का दिनांक 12-03-2020 को स्थलीय निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित कार्य स्थल पर कोई वृक्ष प्रभावित /वाधित होना निहित नहीं है।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु whatever this RoW—right of way—has approved under forest clearance at the time of construction के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या निम्नवत् है:-

“प्रश्नगत परियोजना का निर्माण परियोजना में वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के अनुसार पूर्व निर्मित मोटर मार्ग हेतु तत्समय स्वीकृति प्राप्त चौड़ाई के अन्तर्गत मोटर मार्ग के किनारे-किनारे किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना का निर्माण कार्य मसूरी वन प्रभाग के भद्रीगाड़ रेंज के अन्तर्गत एन0एच0-507 यमुनापुल-खरसौन-क्यारी माईलस्टोन-44 से माईलस्टोन-54(10.00किमी0), कैम्पटी रेंज अन्तर्गत यमुना-मसूरी बेंड जीरो प्वाइन्ट (21.00किमी0), यमुनापुल-सुमनक्यारी (11.20किमी0) मसूरी एवं जौनपुर रेंज के अन्तर्गत एच0एस0 08 मसूरी चम्बा मार्ग से मसूरी-धनोल्दी- (34.00 किमी0) कुल 76.20 किमी0 पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किनारे-किनारे प्रस्तावित है। प्रभाग में प्राप्त अभिलेखों (यथा कार्ययोजना), क्षेत्रीय स्टाफ एवं स्थानीय जनता से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त मोटर मार्गों का निर्माण वर्ष 1980 से पूर्व हो चुका है। उक्त मोटर मार्गों से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति का आदेश इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।”

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक /दिनांकित।

प्रतिलिपि -State Co-Ordinating, Reliance Jeo, Infocomm Limited ,प्रथम तल, रिलायंस मार्केट, जी0एम0एस0रोड, निरजंनपुर देहरादून को

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।